

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल -खजाराठा.....)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 467/25

दापर दिनांक

21/10/2025

निर्णय दिनांक

21/10/2025

ग्रामीण सेवा शिविर-2025



क्र.म.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	खजाराठा	568	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक/2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना वडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>खजाराठा राजस्थान बैंक</p> <p>खजाराठा बैंक</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी</p>	<p>तहसीलदार कपासन की अनुश्रुता स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अन्तर्गत अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>खजाराठा</u> प.ह. <u>खजाराठा</u> खजाराठा<u>568</u>..... में वर्तमान प्रविष्ट बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>

हस्ताक्षर पटवारी

हस्ताक्षर गिरदावर

21/10/2025

हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार

पदेन सहायक कलक्टर कपासन

तहसीलदार (भू.अ.)

ग्रामीण कपासन जिला-चितौड़गढ

सहायक कलक्टर

(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चितौड़गढ